
Establishment of E-Granthaly

Payment of Rs 21275/- made to Bank account of Directorate of Higher Education, Uttarakhand for establishment of E-Granthalay



प्रेषक,

संख्या-36 /xxiv-c-2/2020-05(घो0)17

अशोक कुमार, प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन। सेवा में, निदेशक,

उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

विषयः—मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—736/2017 'सभी महाविद्यालयों में ई—लाईब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी की उपरोक्त घोषणा के अनुपालन में राज्य के समस्त महाविद्यालयों में ई—ग्रन्थालय की स्थापना की जानी है। उक्त सम्बन्ध में समस्त महाविद्यालयों में ई—ग्रंथालय की व्यवस्था लागू करने तथा उसके संचालन के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशानुसार पाँच वर्ष हेतु प्रत्येक महाविद्यालय से कुल रू0 21,275/–(रू0 इक्कीस हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान एन0आई0सी0 को किया जाना है।

अतः वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य एकक सचिवालय परिसर, देहरादून के पत्रांक-NIC/USU/9241/2019, दिनांक 22.10.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की व्यवस्था लागू करने एवं इसके संचालन हेतु उपरोक्त प्रस्तावित धनराशि का भुगतान एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा फण्ड) अथवा महाविद्यालयों में उपलब्ध छात्र निधि फण्ड से कराने का कष्ट करें।

भवदीय, ८४ होक कुमार) प्रभारी सचिव। ७८

संख्या-36 /xxiv-c-2/2020-05(घो०)17 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त परियोजना निदेशक/नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना उत्तराखण्ड, देहरादून।

- समस्त महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।
- डॉ विनोद कुमार, प्रभारी एडुसैट उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड, क्षेत्रीय कार्यालय दून विश्वविद्यालय।

आज्ञा से उप सचिव। 010



फोन नं0-06946-240555,240666,240777

Mail-Higherducation.director@gmail.com

/ डिग्री लेखा / 2020-21 पत्रांक 736

दिनांक>१ मई 2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।

विषयः— मा०मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—736/2017 'सभी महाविद्यालयों में ई—लाईब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी ' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या 36/xxiv-c-2/2020–05(घो0)17 दिनांक 14 जनवरी 2020 का अवलोकन करें जिसमें शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में ई—लाईव्रेरी की व्यवस्था किये जाने की घोषणा की गयी थी। जिसके संन्दर्भ में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20–5–2020 को आहूत बैठक में यथाशीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये

ई-ग्रंथालय की व्यवस्था लागू करने तथा उसके संचालन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 音1 उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशानुसार पाँच वर्ष हेतु प्रत्येक महाविद्यालय से कुल रू0 21275.00 (इक्कीस हजार

दो सौ पचहत्तर रू० मात्र) की धनराशि का भुगतान एन० आई०सी० को किया जाना है। अतः समस्त प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि निदेशालय के निम्नाकित वैक में यथाशीघ्र हस्तान्तरित कर निदेशालय को ई0मेल द्वारा अवगत कराये ताकि ई–ग्रंथालय की महाविद्यालयों में स्थापना हेतु एन0आई0सी0 से पंजीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सकें।

आईoएफoसीo कोड-ICICOOUSCBD वैक खाता संख्या–000134004100079 वैक का नाम – उत्तराचल स्टेट कोपरेटिव वैक लि० हल्द्वानी

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

- GIN

भवदीय,

Brothing Freil

(डा० अशोक कुगार) निदेशक उच्च शिक्षा (उत्तराखण्ड) हल्द्वानी (नेनीताल)